

प्रेस नोट दिनांक 16.01.2021 जनपद मेरठ

थाना खरखौदा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार



अवगत कराना है कि थाना खरखौदा पुलिस द्वारा मुसे (पुलिस मुठभेड़) भादवि 307 धारा 2021/30 0सं0अ0 सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **अहसान उर्फ हकला पुत्र मजीद निवासी गली नं इस्लाम नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ 27 0** को मुखबिर की सूचना पर जुबैदा मस्जिद के सामने चौकी क्षेत्र बिजली बम्बा थाना खरखौदा समय बजे गिरफ्तार किया गया 21.45 है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

.1 अहसान उर्फ हकला पुत्र मजीद निवासी गली नं इस्लाम नगर 27 0 थाना लिसाडी गेट मेरठ


आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 379 भादवि थाना खरखौदा मेरठ
2. मु0अ0सं0 30/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना खरखौदा मेरठ

गिरफ्तार करने वाली टीम--

1. उ0नि0 श्री हरीश कुमार गंगवार थाना खरखौदा मेरठ
2. का0 500 अनीश
3. का0 1105 नवीन

थाना ब्रहमपुरी मेरठ पुलिस द्वारा फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शातिर पति पत्नी गिरफ्तार ।



थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ पर दिनांक 06.05.2019 को श्री ज्ञानेन्द्र गौतम पुत्र स्व० श्री रविन्द्र चन्द गौतम नि० 613 ब्रहमपुरी जनपद मेरठ मो० 7534930234 द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि कन्स्ट्रैक्शन का कार्य करता है तथा पी०डब्लू०डी० मेरठ उत्तर प्रदेश का ठेकेदार है। उसके आफिस में काम करने वाले परवेज आलम ने उसको बताया कि मेरे एक रिश्तेदार जावेद आलम सी०बी०आई० दिल्ली में एस०पी० है। और वो आपका कोई भी काम करा सकते है। गृह मंत्रालय दिल्ली भारत सरकार में उनकी अच्छी पकड हैं और उन्हें प्रार्थी से मिलवाने के लिये प्रार्थी के आफिस ब्रहमपुरी मेरठ में लाया और जावेद आलम का प्रार्थी के आफिस पर आना जाना शुरु हो गया जावेद आलम ने उसे अपनी पत्नी निशा मिलवाया और बताया कि मेरी पत्नी की गृह मंत्रालय भारत सरकार मे अच्छी पहुंच हैं मैं आपको सी०एन०जी० पम्प व गैस एजेन्सी दिला दूंगा जिसके लिये तुम्हें 28 लाख रुपये खर्च करने होंगे। जिसकी तुम्हें जमा की रसीद मिलेगी तुम्हारा काम एक महीने के अन्दर अन्दर हो जायेगा। तुम्हारा काम वी०आई०पी० कोटे से होगा प्रार्थी ने जावेद आलम की बातों पर विश्वास करके सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन व गैस एजेन्सी के लिये हामी भर दी। उक्त लोगो नो धोखा धडी कर उससे 20,25,000/- रुपये ठग लिये है सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 293/19 धारा 406, 419,420, 506,भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की तलाश आरम्भ कर दी गई। उक्त अभियोग को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। जिनकी तलाश हेतु काफी प्रयास किये जा रहे थे परन्तु अभियुक्तगण बेहद शातिर होने के कारण गिरफ्तारी से लगातार बच रहे थे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी महोदय के पर्यवेक्षण मे कार्यवाही करते हुये थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.01.2021 को समय 16.30 बजे एचडीएफसी बैंक सिकन्दराबाद बुलन्दशहर से अभियुक्तगण 1- जावेद आलम उर्फ जुल्फकार अली उर्फ गुलफाम पुत्र अमीन अली 2- निशा पत्नी जावेद आलम उर्फ जुल्फकार अली उर्फ गुलफाम नि०गण ग्राम छौलस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पता:-

- 1- जावेद आलम उर्फ जुल्फकार अली उर्फ गुलफाम पुत्र अमीन अली
- 2- निशा पत्नी जावेद आलम उर्फ जुल्फकार अली उर्फ गुलफाम नि०गण ग्राम छौलस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- चार अदद मोबाइल (1- एपल कम्पनी i-phone 2- लिवा फोन 3- नोकिया 4- नोकिया)

- 2- एक पास बुक बैक आफ बडौदा ,
- 3- दो पेन कार्ड न0 ANZPN6019Q, AYAPA9140P दाखिल किये,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र कुमार सक्सैना
- 2- है0का0 1250 सुधीर
- 3- म0का0 2519 रचना



थाना टी0पी0नगर जनपद मेरठ दिनांक 15.1.2021 को समय करीब 15.00 बजे एक बालिका उम्र लगभग 08 वर्ष व दूसरी बालिका उम्र लगभग 06 वर्ष जो खेलते खेलते पडोसी शमीम खान के घर पर चली गयी थी उक्त दोनों बच्चियों के साथ दरिदंगी करने के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर उक्त घटना में लिप्त **अभियुक्त को मात्र 14 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ के कुशल निर्देशन में एवम श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण में एवम श्रीमान क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी महोदय के नेतृत्व में गठित थाना टीपीनगर की पुलिस टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 17/21 धारा 376ए,बी भादवि व 3ख/4 पाँक्सो एक्ट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त शमीम उपरोक्त को मात्र 14 घन्टे मे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. शमीम खान पुत्र गुलाब खाँ, निवासी HRS चौक पुराना बागपत अड्डा थाना ट्रान्सपोर्ट नगर मेरठ ।

पूछताछ----- गिरफ्तार अभियुक्त शमीम ने विस्तृत पूछताछ पर बताया कि पीड़ित दोनों बच्चियां मेरे पडोस मे ही रहती है । दोनो ही मेरे सामने खेलती रहती थी । कल दि0 15.01.2021 को दोपहर 03.00 बजे के आस-पास दोनो ही बच्ची मेरे घर के पास खेल रही थी । उसके बाद मेरे मन में बुरा खयाल आ गया । मैंने दोनो बच्चियों को बहला-फुसलाकर घर में बुला लिया । और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी । मुझे अपनी गलती का पछतावा है ।

अवैध चाकू सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा नूर नगर रोड़ बैराज के पास से अभियुक्त शाहरुख पुत्र इन्तजार निवासी इत्तेफाक नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नजायज बरामद किया गया। थाना ब्रहमपुरी पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा नूर नगर रोड़ बैराज के पास से अभियुक्त शाहवाज पुत्र सनीफ नि0 पूर्वा ईलाही बक्स थाना ब्रहमपुरी मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नजायज बरामद किया गया। थाना ब्रहमपुरी पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सररपुर पुलिस द्वारा सररपुर सम्पर्क मार्ग सरधना बिनौली रोड़ से करीब 700 मीटर सररपुर गांव की ओर से अभियुक्त नितिन पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सररपुर खुर्द थाना सररपुर मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चा देशी शराब बरामद की गयी। थाना सररपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना सररपुर पुलिस द्वारा सररपुर सम्पर्क मार्ग सरधना बिनौली रोड़ से करीब 700 मीटर सररपुर गांव की ओर से अभियुक्त प्रभु पुत्र पदम सिंह नि0 ग्राम सररपुर खुर्द थाना सररपुर मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 17 पच्चा देशी शराब बरामद की गयी। थाना सररपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना सररपुर पुलिस द्वारा सररपुर सम्पर्क मार्ग सरधना बिनौली रोड़ से करीब 700 मीटर सररपुर गांव की ओर से अभियुक्त रोहित पुत्र सोमी नि0 सररपुर खुर्द थाना सररपुर मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 16 पच्चा देशी शराब बरामद की गयी। थाना सररपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना रोहटा पुलिस द्वारा बाड़म रोड़ पुलिया के पास से अभियुक्त अमित कुमार पुत्र जनेश्वर सिंह निवासी ग्राम बाड़म थाना रोहटा मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 44 पच्चा देशी शराब बरामद की गयी। थाना रोहटा पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अपमिश्रित शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना भावनपुर पुलिस द्वारा लड़पुरा रोड़ पर टावर के पास से अभियुक्त दिलीप पुत्र बालू निवासी मुर्गी फार्म जयभीमनगर थाना भावनपुर मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। थाना भावनपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त गिरफ्तार

थाना भावनपुर पुलिस द्वारा लड़पुरा रोड़ टावर के पास से अभियुक्त मुशर्रफ पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम पचपेड़ा थाना भावनपुर मेरठ, को सट्टे की खाईबाडी करते गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सट्टा, पैन, गत्ता व 560 रूपये नगद बरामद किये गये। थाना भावनपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना फलावदा पुलिस द्वारा मौहल्ला होली चौक कस्बा फलावदा से अभियुक्त परवेज उर्फ पप्पू पुत्र शफीक कुरैशी निवासी मौहल्ला अम्बेड़कर कस्बा व थाना फलावदा मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नजायज बरामद किया गया। थाना फलावदा पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना परीक्षितगढ पुलिस द्वारा आसिफाबाद तिराहा से अभियुक्त आसिफ पुत्र खुर्शेद नि0 पुरानी टंकी माता वाला झोड मवाना रोड कस्बा व थाना किठौर मेरठ, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नजायज बरामद किये गये। थाना परीक्षितगढ पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।